

## प्रेस नोट संख्या-28

दिनांक- 08.04.2024

### सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे **operation conviction** के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 14 माह का कठोर कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 65/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अमेठी के अभियुक्त गुलाब चन्द उर्फ शिवम् कुमार पुत्र शिव बहादुर निवासी चौहान का पुरवा मजरे मधुपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ को 10 माह मे दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय एसजे-प्रथम सुल्तानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 08.04.2024 को 14 माह का कठोर कारावास व 10,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गयी ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना व जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 03.03.2023 को अभियुक्त गुलाब चन्द उर्फ शिवम् कुमार पुत्र शिव बहादुर निवासी चौहान का पुरवा मजरे मधुपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद होने पर मु0अ0सं0 65/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना अमेठी पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0निरी0 श्री कृष्ण कुमार द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्या: ए-97 दिनांक 18.05.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।